

परिशिष्ट - "क"

दोहना-भोजीपुरा स्टेशनों के मध्य स्थित ट्रेफिक समपार सं0 231/सी के संचालन हेतु अनुदेश-

1. विवरण

1.1 सामान्य -

| | | |
|------|---|---|
| 1 | समपार फाटक की संख्या | 231 / सी |
| 2 | इन्जीनियरिंग / ट्राफिक | ट्रेफिक |
| 3 | अधीन स्टेशन अधीन/रेल पथ निरीक्षक | स्टेशन अधीक्षक/दोहना |
| 4 | किलोमीटर पर स्थित | 304 / 2-3 |
| 5 | स्टेशन | दोहना |
| 6 | स्टेशन मध्य | दोहना-भोजीपुरा |
| 7 | बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0 | एम0जी0 / बी0जी0 |
| 8 | इकहरी / दोहरी / मिश्रित | इकहरी लाइन |
| 9 | सामान्य स्थिति | सड़क यातायात के लिए खुला |
| 10 | इण्टरलाकड/नान इण्टरलाकड | इण्टरलाकड |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार | डाउन होम एवं अप स्टार्टर एम0जी0 तथा गेट सिगनलों बी0जी0 से इन्टर लाक |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर | |
| (i) | अप साइड | 304/0-1 |
| (ii) | डाउन साइड | 304/6-7 |
| 13 | संकेतन व्यवस्था | क्लर लाइट सिगनल |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन/घंटी | टेलीफोन स्टेशन मास्टर/दोहना से |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई | 3.50 मीटर |
| 16 | सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य) | अन्य |
| 17 | सड़क का नाम | दोहना विलेज रोड |
| 18 | पक्का / कच्चा | हैक्सागोनल ब्लॉक |
| 19 | पहुँच मार्ग | पक्का |
| 20 | सड़क की चौड़ाई | 3.50 मीटर |
| 21 | सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) | समकोण |
| 22 | सड़क का ढाल यदि कोई हो | |
| (i) | पूर्व / उत्तर की तरफ | 1 : 30 |
| (ii) | पश्चिम / दक्षिण की तरफ | 1 30 |
| 23 | सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई) | |
| (i) | पूर्व / उत्तर की तरफ | गोलाई |
| (ii) | पश्चिम / दक्षिण की तरफ | सीधा |
| 24 | हाइट गेज का प्राविधान | नहीं |
| 25 | बैरियर का प्रकार | लिफ्टिंग बैरियर |
| 26 | चेक रेल की लम्बाई | 7.30 मीटर |
| 27 | समपार के मध्य सड़क का सतह | हैक्सागोनल ब्लॉक |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई | 3.50 मीटर |
| 29 | रोड साइन | उपलब्ध |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड | उपलब्ध |
| 31 | टी0वी0यू0 | 8640 अप्रैल 2013 |
| 32 | अगली गणना की तिथि | अप्रैल - 2016 |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान | है |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 34 | गेटमैनो की संख्या | दो |
| 35 | निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र | इज्जतनगर |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो | राम मुर्ति मेडिकल कालेज |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही | हाँ |

उपकरण –

| क्रम.सं. | सामग्री | संख्या |
|----------|--|--------------------------------|
| 1 | हाथ सिगनल बत्ती | 01(बैट्री चालित) 04(के0आयल) |
| 2 | हरी हाथ झंडी | 01 |
| 3 | लाल हाथ झंडी | 03 |
| 4 | बैनर फ्लैग लाल | 05 |
| 5 | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट | 04 |
| 6 | तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर) | 02 (स्टाप डिस्क के साथ) |
| 7 | पटाखा सिगनल | 10 |
| 8 | ट्राइकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बैट्री लिट | 01 |
| 9 | गेट लैम्प | 02 |
| 10 | टोमीवार | 01 |
| 11 | मोर्टार पैन (तसला) | 01 |
| 12 | फावड़ा/बेल्चा | 01 |
| 13 | दुर्मुठ | 01 |
| 14 | पिक एक्स | 01 |
| 15 | टिन केस झंडी के लिए | 01 |
| 16 | कैन मिटटी के तेल हेतु | 01 |
| 17 | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन | 01 |
| 18 | टिन केस मस्टर शीट के लिए | 01 |
| 19 | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला) | 01 |
| 20 | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01 |
| 21 | टोकरी | 01 |
| 22 | सीटी (Thunder Whistle) | 01 |
| 23 | दीवार घड़ी | 01 |
| 24 | छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु) | 02 |

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।

- (9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
(ii) दिन में गेट मैन दाँये हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी उण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।
(iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
(iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन समपार फाटक पर आपात स्थिति में अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
(ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
(iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
(v) गेट मैन गुजरती हुई सभी एम०जी० एवं बी०जी० ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे—हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
(vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी—टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त संरक्षा चैन, डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
(viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/दोहना, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्रियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xv) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही एम०जी० एवं बी०जी० गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा –

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह एम०जी० गाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टर/दोहना तथा बी०जी० गाड़ियों के लिए स्टेमा०/भोजीपुरा को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/दोहना को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह एम०जी० एवं बी०जी० लाइनो पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/दोहना को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/दोहना कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन एम0जी0 एवं वी0जी0 लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती एम0जी0/बी0जी0 लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, लाल फ्लैसिंग ट्राई कलर टार्च और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले छोटी या बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400/600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 800/1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 400/600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा। क्योंकि इस समपार पर दोहना-भोजीपुरा के मध्य छोटी एवं बड़ी लाइन है, इसलिये गेटमैन पहले यह सुनिश्चित करेगा कि अवरोध से छोटी लाइन बाधित है या बड़ी लाइन अथवा दोनों। यदि एक ही लाइन बाधित है तो वह उसका ही बचाव करेगा। परन्तु यदि दोनों लाइनें बाधित हैं तो वह पहले उस लाइन का बचाव करेगा जिस पर गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा कि क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, चालक का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाबी पी-1 को निकाल लेगा तथा बूम लाक में चाबी पी-1 लगाकर घुमायेगा तथा लीवर को रिवर्स करेगा। इसके बाद बूम लॉकिंग लीवर से चाबी 'पी' को निकाल लेगा जिससे बूम लाक हो जायेगा। तत्पश्चात इसे गेट लॉज में लगे 3-वे लाक अप बाक्स में लगाकर घुमायेगा जिससे चाबी 'क्यू' व चाबी 'आर' रिलीज होगी। एम०जी० गाड़ियों के मूवमेन्ट के लिये इनमें से चाबी 'क्यू' को निकालकर गेट लॉज में लगे लीवर लाक में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

2.1.1 **बड़ी लाइन** की थू लाइन के लिये गेट को उपरोक्त विधि से बन्द करने के उपरान्त 3-वे लाक अप बाक्स से चाबी 'आर' को निकालकर गेट लॉज में लगे के०एल०सी०आर० में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे गेट पैनल पर गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा। समपार के गेट सिगनलों आफ करने के लिये गेट लॉज में एक 3 स्थितियों वाला गेट कन्ट्रोल स्विच लगा है जो सामान्य स्थिति में मध्य (नार्मल पोजीशन) में रहता है। अप गेट सिगनल संख्या 1 एल को आफ करने के लिये स्विच को 1 एल पोजीशन में तथा डाउन गेट सिगनल 1 आर को आफ करने के लिये 1 आर पोजीशन में घुमाया जायेगा।

छोटी लाइन की गाड़ियों के मामले में लाक अप बाक्स से निकाली गयी चाबी 'क्यू' को लीवर लाक में लगाने से स्टेशन मास्टर-दोहना के पैनल पर समपार बन्द होने का इंडिकेशन प्राप्त होगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेट लॉज में प्रदत्त लीवर लाक / के०एल०सी०आर० पर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद गेट मैन चाबी 'क्यू' या चाबी 'आर' को लीवर लाक / के०एल०सी०आर० से एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। लीवर लाक से निकली चाबी को लाक अप बाक्स में लगाकर चाबी 'पी' निकाल कर बूम लाक लीवर में लगाकर लीवर को नार्मल करेगा तत्पश्चात लीवर से चाबी 'पी-1' निकाल कर विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जाये।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए चाबी को विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

1.2.2 गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना :-

(I) छोटी लाइन की गाड़ियों के लिये –

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना, भोजीपुरा स्टेशन को / से किसी गाड़ी के लिये आगमन / प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथा गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।
2. गेटमैन गेट बन्द करके स्टेमा/दोहना को गेट बन्द होने का इन्डीकेशन देगा। तब स्टेशन मास्टर समपार कन्ट्रोल स्विच को लाकड स्थिति में करेगा ताकि आगमन/प्रस्थान सिगनल आफ करेगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा –
स्टेशन मास्टर की लॉग बुक (एम0जी0):-

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन को सूचित करने का समय | स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर |
|------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

गेटमैन की लाग बुक (एम0जी0)

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने/चाबी ट्रान्समिट करने का समय | समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय | गेटमैन का हस्ताक्षर | रिमार्क |
|------|-----------|---|---|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. **बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिए :-**

कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा बड़ी लाइन की गाड़ियों को लाइन क्लीयर देने/किसी गाड़ी को प्रस्थान आदेश देने से पूर्व कार्यरत गेटमैन को गाड़ी का विवरण, दिशा, समपार से पास होने का सम्भावित समय सूचित करेगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा –
स्टेशन मास्टर की लॉग बुक (बी0जी0):-

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन को सूचित करने का समय | समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय | स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर |
|------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

गेटमैन की लाग बुक (बी0जी0)

| तिथि | गाड़ी सं0 | समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय | गेट बन्द करने का समय | समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय | गेटमैन का हस्ताक्षर |
|------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक बिलम्बित न हो।

5. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर/दोहना गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।

6. जब किसी एम0जी0 गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड से/मे पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 **टेलीफोन संचार की विफलता :-**

1. जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो –

2. कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना गेट के तरफ जाने वाली एम0जी0 एवम स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा एम0जी0 एवं बी0जी0 गाड़ियों के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

- 3 कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना एम0जी0 गाड़ियों के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा को एवं स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा, बी0जी0 गाड़ियों के मामले में स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर से प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है तब गाड़ी भेजने वाला स्टेशन मास्टर गेट की तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सर्तकता आदेश जारी करेगा कि लगातार सीटी बजाते हुए सर्तकतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- 4 कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।
- 5 कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना/भोजीपुरा सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
- 6 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 7 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा अथवा छोटी लाइन की गाड़ियाँ पायलट की जायेगी।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/दोहना एवं भोजीपुरा को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान इन्टरलाक गेट समझना चाहिए और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चैन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
4. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
5. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सेफटी चैन को लगाकर तालाबन्द करेगा।
6. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना/भोजीपुरा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. जब बड़ी लाइन की गाड़ी के संचालन की सूचना स्टेशन मास्टर-भोजीपुरा मिले तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा कार्यरत स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
9. बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
10. कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना/भोजीपुरा सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
11. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

1. जब गेट की बन्द स्थिति में लीवर लाक से चाबी न निकाली जा सके तब गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**दोहना**, स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-दोहना द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**दोहना** बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये स्टेशन मास्टर -**भोजीपुरा** प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिए स्टेशन मास्टर/**इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान के अर्न्तगत संदेश देगा कि गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**दोहना/भोजीपुरा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग को खराब यंत्र के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. जब गेट की चाबी विंच से गेट सिगनल लीवर लाक से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान इन्टरलाक गेट समझना चाहिए ओर उसी के अनुसार कार्यवाही कराना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**दोहना** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए। सभी एम0जी0 की गाड़ियों को पायलट किया जायेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**दोहना**, स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाबी गेट के खुली दशा में खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा इज्जतनगर** स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि वह गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास लिखित सूचना देगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**दोहना/भोजीपुरा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 गेट सिगनल की विफलता :-

- 1 गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।
 - (ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।

2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।
3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान- प्रदान करते हुए सूचित करेगा। तब स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा गेट की तरफ जाने वाली बी0जी0 गाड़ी के चालक को सर्तकता आदेश जारी करेगा।
4. उसके बाद गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार बी0जी0 गाड़ियों का निर्धारित पद्धति अपनाते हुए संचलन किया जायेगा।
5. गेटमैन गेट को चेन एवं पैडलाक से बन्द करने के बाद दिन में हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा, स्टेशन मास्टर -इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट सिगनल खराब है। तब **स्टेशन मास्टर / इज्जतनगर** गेट के तरफ जाने वाली बी0जी0 गाड़ी को सर्तकता आदेश जारी करे कि वह नियमानुसार लगातार सीटी बजाते हुए सर्तकता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। लोको पायलट सहायक नियम 3.73 के प्रावधानों का पालन करते हुए समपार को पार करेगा।
6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सर्तकता आदेश जारी करना चाहिए।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर / भोजीपुरा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 समपार फाटक पर अवरोध -

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर पलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा। तथा बी0जी0 गाड़ियों के लिए यदि गेट सिगनल आफ है तो इन्हे तुरन्त आन स्थिति में कर देगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना एवं भोजीपुरा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना एवं भोजीपुरा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में पलैसिंग ट्राई कलर टार्च लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ जाते हुए रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
6. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे चालक का नाम, वाहन संख्या, सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/दोहना एवं भोजीपुरा** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/दोहना एवं भोजीपुरा** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
7. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा**, इस सूचना को कार्यरत **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा एवं **स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर** गेट की तरफ जाने वाली गाड़ी के लिए सर्तकता आदेश जारी करेगा।
8. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/ दोहना एवं भोजीपुरा** को सूचित करेगा।

9. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा एवं इज्जतनगर** सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
10. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिरवायेगा।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**दोहना एवं भोजीपुरा** जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
12. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/**दोहना, भोजीपुरा एवं इज्जतनगर** मद संख्या 2.8 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेगें यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(जे० ए० आजमी)
मपरिग्र (सा०)/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

परिशिष्ट – "क-I"

दोहना-इज्जतनगर स्टेशनों के मध्य स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 232 श्रेणी "सी" के संचालन हेतु अनुदेश –

1. विवरण

1.1 सामान्य –

| | | |
|------|---|---|
| 1 | समपार फाटक की संख्या | 232 / सी |
| 2 | इन्जीनियरिंग / ट्राफिक | ट्रैफिक |
| 3 | अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक | स्टेशन अधीक्षक / दोहना |
| 4 | किलोमीटर पर स्थित | 305 / 1-2 |
| 5 | स्टेशन | दोहना |
| 6 | स्टेशन मध्य | दोहना-इज्जतनगर |
| 7 | बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0 | एम0जी0 / बी0जी0 |
| 8 | इकहरी / दोहरी / मिश्रित | इकहरी लाइन |
| 9 | सामान्य स्थिति | सड़क यातायात के लिए खुला |
| 10 | इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड | इण्टरलाकड |
| 11 | इण्टरलाकिंग का प्रकार | अप होम एवं डाउन स्टार्टर एम0जी0 तथा गेट सिगनलों (बी0जी0) से इन्टरलॉकड |
| 12 | गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर बीजी0 के लिए | |
| (i) | अप साइड | कोई नहीं |
| (ii) | डाउन साइड | कोई नहीं |
| 13 | संकेतन व्यवस्था | क्लर लाइट सिगनल |
| 14 | संचार साधन टेलीफोन / घंटी | टेलीफोन स्टेशन मास्टर / दोहना एवं इज्जतनगर से सम्बद्ध। |
| 15 | समपार फाटक की चौड़ाई | 7.50 मीटर |
| 16 | सड़क का प्रकार (एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य) | अन्य |
| 17 | सड़क का नाम | नैनीताल रोड- विलेज रोड |
| 18 | पक्का / कच्चा | पक्का |
| 19 | पहुँच मार्ग | नैनीताल रोड |
| 20 | सड़क की चौड़ाई | 5.50 मीटर |
| 21 | सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) | समकोण |
| 22 | सड़क का ढाल यदि कोई हो | |
| (i) | पूर्व / उत्तर की तरफ | 1 : 30 |
| (ii) | पश्चिम / दक्षिण की तरफ | 1 30 |
| 23 | सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई) | |
| (i) | पूर्व / उत्तर की तरफ | सीधा |
| (ii) | पश्चिम / दक्षिण की तरफ | सीधा |
| 24 | हाइट गेज का प्राविधान | नहीं |
| 25 | बैरियर का प्रकार | लिफ्टिंग बैरियर |
| 26 | चेक रेल की लम्बाई | 9.50 मीटर |
| 27 | समपार के मध्य सड़क का सतह | हैक्सागोनल ब्लॉक |
| 28 | रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई | 3.50 मीटर |
| 29 | रोड साइन | उपलब्ध |
| 30 | गति अवरोधक बोर्ड | उपलब्ध |
| 31 | टी0वी0यू0 | 7950 अप्रैल 2013 |
| 32 | अगली गणना की तिथि | अप्रैल - 2016 |
| 33 | पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान | है |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 34 | गेटमैनो की संख्या | दो |
| 35 | निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र | इज्जतनगर |
| 36 | निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो | राम मुर्ति मेडिकल कालेज |
| 37 | उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही | हॉ |

1.2 उपकरण –

| क्रम.सं. | सामग्री | संख्या |
|----------|--|---------------------------------|
| 1 | हाथ सिगनल बत्ती(तिरंगी) | 01(बैट्री चालित) 04 (के0आयल) |
| 2 | हरी हाथ झंडी | 01 |
| 3 | लाल हाथ झंडी | 03 |
| 4 | बैनर फ्लैग लाल | 05 |
| 5 | लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट | 04 |
| 6 | तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर) | 02 (स्टाप डिस्क के साथ) |
| 7 | पटाखा सिगनल | 10 |
| 8 | ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प बैट्री लिट | 01 |
| 9 | गेट लैम्प | 02 |
| 10 | टोमीवार | 01 |
| 11 | मोर्टार पैन (तसला) | 01 |
| 12 | फावड़ा/बेल्चा | 01 |
| 13 | दुर्मुठ | 01 |
| 14 | पिक एक्स | 01 |
| 15 | टिन केस झंडी के लिए | 01 |
| 16 | कैन मिटटी के तेल हेतु | 01 |
| 17 | बाल्टी/पानी पीने का बर्तन | 01 |
| 18 | टिन केस मस्टर शीट के लिए | 01 |
| 19 | चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला) | 01 |
| 20 | गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम | 01 |
| 21 | टोकरी | 01 |
| 22 | सीटी (Thunder Whistle) | 01 |
| 23 | दीवार घड़ी | 01 |
| 24 | छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु) | 02 |

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
- (v) गेट मैन गुजरती हुई सभी एम0जी0 ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे—हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी—टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/दोहना, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही एम0जी0 गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा –

- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/दोहना को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/दोहना को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह एम0जी0 लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/दोहना को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/दोहना कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट में सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट में गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट में एम0जी0 लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट में तब पटाखे, और लाल फ्लैशिंग ट्रार्थ कलर टार्चझण्डी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट में दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले छोटी या बड़ी लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 400/600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 800/1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 400/600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा। क्योंकि इस समपार पर दोहना-इज्जतनगर के मध्य छोटी एवं बड़ी लाइन है, इसलिये गेटमें पहले यह सुनिश्चित करेगा कि अवरोध से छोटी लाइन बाधित है या बड़ी लाइन अथवा दोनों। यदि एक ही लाइन बाधित है तो वह उसका ही बचाव करेगा। परन्तु यदि दोनों लाइनें बाधित हैं तो वह पहले उस लाइन का बचाव करेगा जिस पर गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट में अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट में रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट में आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल दिखाकर सचेत करेगा / रोकेगा।

(ब) गेट में द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट में तुरन्त कार्यवाही करेगा।

- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश —

2.1 संचालन पद्धति —

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक (Lock) से चाबी **एस-1** को निकाल लेगा तथा बूम लॉक में चाबी **एस-1** लगाकर घुमायेगा तथा लीवर को रिवर्स करेगा। इसके बाद बूम लॉकिंग लीवर से चाबी **'एस'** को निकाल लेगा जिससे बूम लाक हो जायेगा। तत्पश्चात इसे गेट लॉज में लगे 3-वे लाक अप बाक्स में लगाकर घुमायेगा जिससे चाबी **'यू'** व चाबी **'टी'** रिलीज होगी। एम0जी0 गाड़ियों के मूवमेन्ट के लिये इनमें से चाबी **'टी'** को निकालकर गेट लॉज में लगे लीवर लाक में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा। इन्डीकेशन मिलने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन समपार के कन्ट्रोल स्विच को लाकड स्थिति में धुमायेगा।

बड़ी लाइन की थ्रू लाइन के लिये गेट को उपरोक्त विधि से बन्द करने के उपरान्त 3-वे लाक अप बाक्स से चाबी **'यू'** को निकालकर गेट लॉज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर—दोहना के पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा। समपार के गेट सिगनलों आफ करने के लिये गेट लॉज में एक 3 स्थितियों वाला गेट कन्ट्रोल स्विच लगा है जो सामान्य स्थिति में मध्य (नार्मल पोजीशन) में रहता है। अप गेट सिगनल संख्या **2 एल** को आफ करने के लिये स्विच को **2 एल** पोजीशन में तथा डाउन गेट सिगनल **2 आर** को आफ करने के लिये **2 आर** पोजीशन में धुमाया जायेगा।

छोटी लाइन की गाड़ियों के मामले में लाक अप बाक्स से निकाली गयी चाबी **'यू'** को लीवर लाक में लगाने से स्टेशन मास्टर—दोहना के पैनल पर समपार बन्द होने का इंडिकेशन प्राप्त होगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेट लॉज में प्रदत्त लीवर लाक / के0एल0सी0आर0 पर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद गेट मैन चाबी **'यू'** या चाबी **'टी'** को लीवर लाक / के0एल0सी0आर0 से एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। लीवर लाक से निकली चाबी को लाक अप बाक्स में लगाकर चाबी **'एस'** निकाल कर बूम लाक लीवर में लगाकर लीवर को नार्मल करेगा तत्पश्चात लीवर से चाबी **'एस-1'** निकाल कर विंच में लगाकर विंच को संचालित कर गेट को खोलेगा जब तक कि दोनों बैरियर लगभग ठीक ऊपर लम्बवत न उठ जायें।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए चाबी को विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

(I) छोटी लाइन की गाड़ियों के लिये —

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना, इज्जतनगर स्टेशन को ६ से किसी गाड़ी के लिये आगमन ६ प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय सूचित करेगा।
- गेटमैन गेट बन्द करके स्टेशन मास्टर/दोहना को गेट बन्द होना का इन्डीकेशन देगा तब स्टेशन मास्टर समपार कन्ट्रोल स्विच को लाकड स्थिति में करके आगमन /प्रस्थान सिगनल

3. **बड़ी लाइन की गाड़ियों** के लिए स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा –
स्टेशन मास्टर की लॉग बुक):-

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन को सूचित करने का समय | समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय | स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर |
|------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

गेटमैन की लाग बुक

| तिथि | गाड़ी सं0 | गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने / की-ट्रॉसमित करने का समय | समपार से पूरी गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय | गेटमैन का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|------|-----------|---|---|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो। तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।
5. इसके बाद स्टेशन मास्टर/दोहना द्वारा आगमन/प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।
6. सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर-दोहना गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
7. जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

- जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/इज्जतनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

(जे0 ए0 आजमी)
मपरिप्र (सा0)/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं0 3 सम्मिलित है
स्टेशन संचालन नियम सं0 इज्जत/45

दोहना

- 5 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 6 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा अथवा छोटी लाइन की गाड़ियाँ पायलट की जायेगी।

2.4 लिपिटिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिपिटिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/दोहना को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चैन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
4. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के लिए संरक्षा चैन को ताला बन्द करेगा।
6. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेमा/दोहना सिग एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिपिटिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

1. जब गेट की बन्द स्थिति में लीवर लाक से चाबी न निकाली जा सके तब गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
2. कार्यरत स्टेशन मास्टर-दोहना, स्टेशन मास्टर -भोजीपुरा को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर खराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/भोजीपुरा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-दोहना द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-दोहना स्टेशन मास्टर -इज्जतनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर गेट खराब तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**दोहना** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
 6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-**
1. जब गेट की चाबी विंच से गेट सिगनल लीवर लाक से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा। इस परिस्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
 2. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**दोहना**, स्टेशन मास्टर/**इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट चाबी गेट के खुली दशा में खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**इज्जतनगर भोजीपुरा** स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि वह गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
 3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**दोहना** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए। सभी गाड़ियों को पायलट किया जायेगा।
 4. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
 5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**दोहना** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
 6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.7 गेट सिगनल की विफलता :-**
- 1 गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।
 - (ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।
 - 2 यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।
 3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत **स्टेशन मास्टर /भोजीपुरा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान- प्रदान करते हुए सूचित करेगा। तब स्टेशन मास्टर/**भोजीपुरा** गेट की तरफ जाने वाली बी0जी0 गाड़ी के चालक को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
 4. उसके बाद गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार बी0जी0 गाड़ियों का निर्धारित पद्धति अपनाते हुए संचालन किया जायेगा।
 5. गेटमैन गेट को चेन एवं पैडलाक से बन्द करने के बाद दिन में हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
 6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर /भोजीपुरा, स्टेशन मास्टर -इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि गेट सिगनल खराब है। तब **स्टेशन मास्टर / इज्जतनगर** गेट के तरफ जाने वाली बी0जी0 गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह नियमानुसार लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। चालक सहायक नियम 3.73 के प्रावधानों का पालन करते हुए समपार को पार करेगा।

6. कार्यरत **स्टेशन मास्टर /भोजीपुरा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
8. कार्यरत **स्टेशन मास्टर /भोजीपुरा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 **समपार फाटक पर अवरोध –**

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राइ कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से उस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ से गाड़ी का आगमन संभावित है, तथा रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
6. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर **स्टेशन मास्टर/दोहना** को सूचित करेगा तथा **स्टेशन मास्टर/दोहना** तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे है। एवं **स्टेशन मास्टर-इज्जतनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान के अर्न्तगत यह सूचना व सर्तकता आदेश लागू करेगा।
7. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना** को सूचित करेगा।
8. तब गाड़ी भेजने वाला कार्यरत **स्टेशन मास्टर सभी** गाड़ी के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक आदेश जारी करेगा कि गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
9. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हथ्येदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिरवायेगा।
10. कार्यरत **स्टेशन मास्टर/दोहना** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
11. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/दोहना मद संख्या 2.8 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(जे० ए० आजमी)
मपरिप्र (सा०)/इज्जतनगर

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ख'दोहना स्टेशन पर प्रदत्त संकेतन एवं अन्तर्पाशन उपस्करों के केन्द्रीय संचालन हेतु अनुदेश1. प्रमुख विशेषताएं :-

- 1.1 नियमारेख संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/इज्जतनगर/2011/आर0डी0/11 दिनांक 19.5.2012 संशोधन 'ए' दिनांक 18.9.2012
- 1.2 संकेतन आरेख संख्या – NER/IZN/DOX/SIP/2011/VER-ZERO/10 संशोधन 'सी'
- 1.3 पैनल आरेख संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/इज्जतनगर/2011/पी0डी0/12 दिनांक 19.5.2012 संशोधन 'ए' दिनांक 18.9.2012
- 1.4 स्टेशन की श्रेणी – बी
- 1.5 संकेतन का मानक – मानक –III
- 1.6 संकेतन का प्रकार – बहुसंकेती रंगीन बत्ती सिगनल व्यवस्था

17. विचलन :-

- (1.7.1) साधारण एवं सहायक नियम 3.40(1)(b) के अन्तर्गत गाड़ियों के आगमन हेतु पर्याप्त दूरी सामान्यतया गाड़ियों के रूकने के स्थान से मापी गयी है। जैसा कि,
 - (क) अप गाड़ी के लिए अप स्टार्टर सिगनल संख्या S-6 लाइन संख्या 1 के लिये
 - (ख) डाउन गाड़ी के लिए डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या S-7 लाइन संख्या 1 के लिये
- (1.7.2) साधारण एवं सहायक नियम 3.07(7) के अन्तर्गत निम्न सिगनल आपस में संयुक्त किये गये हैं। जैसा कि,
 - (क) समपार संख्या 232 के डाउन गेट डिस्टेन्ट सिगनल को समपार संख्या 231 के डाउन गेट सिगनल संख्या 1 आर के साथ ।
 - (ख) समपार संख्या 231 के अप गेट डिस्टेन्ट सिगनल को समपार संख्या 232 के अप गेट सिगनल संख्या 2 एल के साथ ।

1.8 खण्ड का कार्य संचालन (Block Working)

- 1.8.1 दोहना – इज्जतनगर स्टेशनों के मध्य टोकेनलैस ब्लाक उपकरण
- 1.8.2 दोहना – भोजीपुरा स्टेशनों के मध्य टोकेन लैस उपकरण

2. काँटों तथा सिगनलों का विवरण

यार्ड में निम्नलिखित सिगनल व काँटें प्रदत्त हैं। सिगनल कलर लाइट तथा विद्युत से प्रकाशित होते हैं। सभी काँटे मोटर चालित हैं। सभी काँटें तथा सिगनल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे नियन्त्रण पैनल से प्रचालित होते हैं।

2.1 यार्ड का भोजीपुरा छोर :-2.1.1 काँटें :-

थम्ब स्विच संख्या 201 द्वारा नियन्त्रित काँटा संख्या 201A, 201B से लाइन संख्या 2 से 1 एवं 1 से 2 के लिये सैट की जाती है।

2.1.2 सिगनल :-

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल डाउन होम सिगनल के संकेत द्वारा स्वतः नियन्त्रित है।
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या 1 एक जंक्शन रूट इंडिकेटर सहित का विवरणों के साथ- –
डाउन होम सिगनल संख्या एल-2 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जंक्शन इन्डीकेटर रहित डाउन होम सिगनल संख्या एल-1 लूप लाइन संख्या 1 के लिये जंक्शन इंडीकेटर सहित। अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 टोकनलैस ब्लाक यंत्र से नियंत्रित।

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

2.1.3 अप प्रस्थान सिगनल निम्नलिखित विवरणों के साथ— —

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 मेन लाइन संख्या 2 के लिये
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 लूप लाइन संख्या 1 के लिये

2.2 यार्ड का इज्जतनगर छोर :-**2.2.1 काँटें :-**

थम्ब स्विच संख्या 202 द्वारा नियन्त्रित काँटा संख्या 202A, 202B से लाइन संख्या 2 से 1 एवं 1 से 2 के लिये सैट की जाती है।

2.2.2 सिगनल :-

2.1.1.1. अप डिस्टेन्ट सिगनल अप होम सिगनल के संकेत द्वारा स्वतः नियन्त्रित है।

2.1.1.2 अप होम सिगनल संख्या 12 एक जंक्शन रूट इंडिकेटर सहित का विवरण निम्न है —

अप होम सिगनल संख्या एल-2 मेन लाइन संख्या 2 के लिये जंक्शन इन्डीकेटर रहित
अप होम सिगनल संख्या एल-1 लूप लाइन संख्या 1 के लिये जंक्शन इन्डीकेटर सहित
डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 11 टोकेनलैस ब्लॉक यंत्र से नियन्त्रित।

2.2.2.4 डाउन प्रस्थान सिगनल निम्नलिखित विवरणों के साथ— —

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 मेन लाइन संख्या 2 के लिये
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 7 लूप लाइन संख्या 1 के लिये

2.3 साथ- साथ आगमन / प्रस्थान / कासिंग :-

इस स्टेशन पर गाड़ियों के साथ आगमन / प्रस्थान / कासिंग की अनुमति निम्न प्रकार है :-

- (क) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 से प्रस्थान

2.4 गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना :-

गाड़ियों को 15 किमी० प्रति घंटे की स्पीड के साथ लाइन संख्या 1 बिना रूके सीधे जाने की अनुमति है।

2.5 आपात स्थिति में सिगनलों को आन स्थिति में करना :-

आपात स्थिति में होम सिगनलों को आन करने हेतु सम्बन्धित सिगनल के स्विच को नार्मल करने एवं सम्बन्धित ग्रुप बटन दबाने से सिगनल आन हो जायेगा तथा लाक लाइट जल जायेगी जो कि 120 सेकेंड के बाद स्वतः चली जायेगी। लाक लाइट जाने के बाद पैनल से सामान्य कार्य किये जा सकेंगे।

3. सिगनल संकेत :-

- 3.1 डिस्टेन्ट सिगनल के अतिरिक्त सभी आगमन एवं प्रस्थान सिगनलों का नार्मल आस्पैक्ट लाल हैं। डिस्टेन्ट सिगनल का नार्मल आस्पैक्ट पीला है। डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट का परिवर्तन उसके आगे स्थित होम सिगनल के आस्पैक्ट के अनुसार स्वतः हो जाता है। अप एवं डाउन डिस्टेन्ट सिगनलों हेतु पैनल पर कोई अलग से स्विच नहीं है।
- 3.2 लूप लाइन के स्टार्टर सिगनलों के दो आस्पैक्ट हैं। नार्मल आस्पैक्ट लाल है तथा आफ स्थिति में एक पीला आस्पैक्ट है। इनका आफ आस्पैक्ट एडवॉस स्टार्टर के आफ आस्पैक्ट पर आश्रित नहीं है। लूप लाइन स्टार्टर सिगनल का आफ आस्पैक्ट तथा एडवॉस स्टार्टर सिगनल के आफ आस्पैक्ट के साथ गाड़ी का ब्लॉक खण्ड में जाने की अनुमति देता है तथा एडवॉस स्टार्टर सिगनल के आन रहने पर इसे शंटिंग के लिये प्रयोग में लाया जायेगा।

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

3.3 मेन लाइन के स्टार्टर सिगनलों में तीन आस्पैक्ट हैं। नार्मल आस्पैक्ट लाल है तथा आफ की स्थिति में एक पीला या हरा है। पीला आस्पैक्ट एडवॉस स्टार्टर सिगनल तक शटिंग के लिये है तथा हरा आस्पैक्ट ब्लाक खण्ड में जाने की अनुमति देता है।

3.4 यदि सम्बन्धित पाइन्टस की सही सैटिंग का इंडिकेशन न भी जलता हो तथा सिगनल आस्पैक्ट का नियमित इंडिकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाये कि पाइन्टस सही सैट एवं लाक है।

4. स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जाता है। इस सिलसिले में साथ में पैनल आरेख यार्ड की भौगोलिक स्थिति पाइन्टस एवं सिगनल आदि के संचालन हेतु थम्ब स्विच बने होते हैं।

4.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर एक पैनल, रिलीज़ / लाक चाबी के साथ लगा होता है जो पाइन्ट एवं सिगनल आदि का अनाधिकृत संचालन रोकता है। जब तक पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक पाइन्टस एवं सिगनलों का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। चाबी लगाकर घुमाने से सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जाता है। बिना इस चाबी के घुमाए थम्ब स्विच घुमाने एवं पुश बटन आदि दबाने से कुछ नहीं होगा। ट्रैक सर्किट जाम / विफल होने का इंडिकेशन कमशः लघु सफेद एवं लाल रंग के प्रकाश द्वारा इंगित होता है। स्टेशन मास्टर पैनल कन्ट्रोल चाबी चाहे पैनल में लगी हो या निकली हो, सभी ट्रैक, कॉटों के इंडिकेशन एवं सिगनलों के आस्पैक्ट अन्तिम संचालन स्थिति में अनवरत प्रकाशित रहेंगे।

4.2 सिगनल थम्ब स्विच :-

4.2.1 पैनल पर इज्जतनगर छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल के संचालन के लिये थम्ब स्विच संख्या 11 प्रदत्त है तथा अप होम सिगनलों के संचालन के लिये थम्ब स्विच संख्या 12 प्रदत्त है। थम्ब स्विच मध्य स्थिति में होने पर कोई भी सिगनल संचालित नहीं होता। थम्ब स्विच संख्या 11 को 'आर' पोजीशन की ओर घुमाने पर यह डाउन होम सिगनल संख्या 11 के संकेत को नियन्त्रित करेगा तथा थम्ब स्विच संख्या 12 को 'एल' पोजीशन की ओर घुमाने पर यह अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल संख्या 12 के आस्पैक्ट को कन्ट्रोल करता है।

4.2.2 इसी प्रकार पैनल पर भोजीपुरा छोर पर अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल के संचालन के लिये थम्ब स्विच संख्या 2 प्रदत्त है तथा डाउन होम सिगनलों के संचालन के लिये थम्ब स्विच संख्या 1 प्रदत्त है। थम्ब स्विच मध्य स्थिति में होने पर कोई भी सिगनल संचालित नहीं होता। थम्ब स्विच संख्या 1 को 'आर' पोजीशन की ओर घुमाने पर यह डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेत को नियन्त्रित करेगा तथा थम्ब स्विच संख्या 2 को 'एल' पोजीशन की ओर घुमाने पर यह अप एडवॉस स्टार्टर सिगनल संख्या 2 के आस्पैक्ट को कन्ट्रोल करता है।

4.2.3 डाउन प्रस्थान सिगनलों के संचालन हेतु पैनल पर थम्ब स्विच संख्या 5 एवं 7 प्रदत्त हैं। यह दोनों स्विच दो पोजीशन वाले हैं। आर स्थिति की ओर घुमाने एवं ग्रुप बटन दबाने पर यह डाउन प्रस्थान सिगनलों के आस्पैक्ट कन्ट्रोल करेंगे। अप प्रस्थान सिगनलों के संचालन हेतु पैनल पर थम्ब स्विच संख्या 4 एवं 6 प्रदत्त हैं। एल स्थिति की ओर घुमाने एवं ग्रुप बटन दबाने पर यह अप प्रस्थान सिगनलों के आस्पैक्ट कन्ट्रोल

4.3 प्वाइन्टस थम्ब स्विच :-

- 4.3.1 यार्ड के भोजीपुरा छोर पर कास ओवर कॉटा संख्या 201A - 201B के संचालन के लिये पैनल पर एक कॉटा थम्ब स्विच संख्या 201 प्रदत्त है । यह दो पोजीशन वाले स्विच हैं। सामान्यतः ये स्विच नार्मल (एन) पोजीशन में रखे जाते हैं। यह मेन लाइन संख्या 2 की सामान्य सैटिंग सुनिश्चित करता है। जब थम्ब स्विच को आर पोजीशन में घुमाया जाता है, तो कॉटे विपरीत दिशा में सैट हो जाते हैं।
- 4.3.2 इसी प्रकार पैनल पर इज्जतनगर छोर पर कास ओवर कॉटा संख्या 202A -202B के संचालन के लिये पैनल पर एक कॉटा थम्ब स्विच संख्या 202 प्रदत्त है । यह दो पोजीशन वाले स्विच हैं। सामान्यतः ये स्विच नार्मल (एन) पोजीशन में रखे जाते हैं। यह मेन लाइन संख्या 2 की सामान्य सैटिंग सुनिश्चित करता है। जब थम्ब स्विच को आर पोजीशन में घुमाया जाता है, तो कॉटे विपरीत दिशा में सैट हो जाते हैं।
- 4.3.3 एक लघु प्रकाश सफेद बत्ती स्विच के एन पोजीशन के ठीक ऊपर लगा है। उसके प्रकाशित होने पर प्वाइन्टस के नार्मल पोजीशन में सैट एवं लाक हो जाने का सूचक होता है। इसी प्रकार लघु हरी बत्ती स्विच के आर पोजीशन के ठीक ऊपर लगी है जिसके प्रकाशित होने पर पाइन्ट के रिवर्स पोजीशन में सैट तथा लाक हो जाने का सूचक होता है।
- 4.3.4 प्वाइन्टस स्विच के मध्य एक लाल प्रकाश बत्ती लगी है जिसके प्रकाशित होने पर यह प्रकट होता है कि प्वाइन्टस विद्युत लाक द्वारा लाकड हो गया है और उस स्थिति में उसका संचालन नहीं हो सकता है। अतः लाल प्रकाश बत्ती के जलते रहने पर प्वाइन्टस चलाने के लिये सम्बन्धित थम्ब स्विच को बिल्कुल नहीं घुमाना चाहिए ।

4.4 ग्रुप पुश बटन :-

अप तथा डाउन यार्ड के लिये दो पुश बटन लगे हैं। सिगनल के संचालन हेतु इन्हे दबाया जाता है। अपेक्षित दशाओं में सिगनल स्विचों को घुमाने के बाद इन ग्रुप बटनों को दबाना चाहिए । इनको दबाने के बाद ही सिगनल संचालन होगा। अप दिशा में गाड़ी संचालन के लिये कॉटों व सिगनलों के संचालन होगा। अप दिशा में गाड़ी संचालन के लिए सिगनलों के प्रचालन हेतु पैनल के भोजीपुरा पर लगे ग्रुप बटन संख्या 1 को दबाना है तथा डाउन दिशा में गाड़ी संचालन हेतु पैनल के इज्जतनगर छोर पर लगे ग्रुप बटन संख्या 1 दबाना होता है।

4.5 ट्रैक सूचक लघु प्रकाश बत्ती :-

पैनल पर प्रदर्शित ट्रैक सर्किटों पर लघु प्रकाश बत्तियाँ सफेद तथा लाल रंग की सूचकॉक के रूप में लगी हैं। जब किसी ट्रैक सर्किट के भाग पर कोई गाड़ी होती है या ट्रैक सर्किट विफल होता है तो लाल बत्ती जल जायेगी। इसी प्रकार जब ट्रैक सर्किट गाड़ी से साफ या खाली होता है तो सफेद / पीली बत्ती जलेगी। इन ट्रैक सर्किटों का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) इज्जतनगर छोर – 12T, A11T, 202T, 202BT
 (ख) भोजीपुरा छोर – 1T, A2T, 201T, 201BT
 (ग) बर्थिंग ट्रैक पर – 01T, 01AT, 02T, 02AT

टिप्पणी :-

गाड़ी ट्रैक पर आने के बाद यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है। तब इसके मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जाँच करें कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को क्रियाशील समझा जाये । तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें ।

(बालक राम)
 मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
 मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
 मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

4.6 **वीडर काउन्टर :-**निम्नलिखित विद्युत चालित वीडर काउन्टर पैनल पर प्रदत्त है—

1. कैंक हैण्डिल संयुक्त वीडर काउन्टर
2. अप आपात्कालीन वीडर काउन्टर
3. डाउन आपात्कालीन वीडर काउन्टर
4. टोकनलैस ब्लाक यंत्र काउन्टर (इज्जतनगर—भोजीपुरा) के लिए अलग—अलग)

5. **सिगनल और रूट इंडिकेशन :-**

5.1 पैनल पर प्रत्येक सिगनल पर लाल, पीले एवं हरे रंग की लघु प्रकाश बत्ती सूचक के रूप में दर्शायी गयी है। ये सूचक स्थल पर लगे सिगनलों द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पैक्ट को दर्शाते हैं। डिस्टेन्ट सिगनल का इंडिकेशन पीली, दो पीला व हरा रंग में तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल में लाल एवं हरे रंग की लघु प्रकाश बत्ती के रूप में लगी है।

5.2 पैनल डायग्राम में होम सिगनल पर लघु सफेद बत्तियाँ लगी हैं। यार्ड में होम सिगनल पर लगे जंक्शन इंडिकेटर जिस रूट के लिये प्रकाशित हा उसी के अनुरूप लघु सफेद बत्ती जलेगी। यह लूप लाइन संख्या 1 की सैटिंग को प्रदर्शित करती है।

6. **सिगनल लाइट आस्पैक्ट का विवरण :-**

6.1 एडवॉस स्टार्टर में हरे रंग का आस्पैक्ट होने का तात्पर्य यह है कि अगले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं तथा सम्बन्धित ब्लाक उपकरण भी टीजीटी स्थिति में हो गया है। गाड़ी को भेजने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर ही एडवॉस स्टार्टर को आफ किया जा सकेगा।

6.2 अप एवं डाउन गाड़ियों के प्रस्थान हेतु दोनों दिशाओं में प्रस्थान सिगनल प्रदत्त हैं। अगले स्टेशन से लाइन क्लीयर मिलने के बाद पहले सम्बन्धित अग्रिम प्रस्थान सिगनल को आफ कर दिया जायेगा तथा उसके बाद सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल को आफ करने पर मेन लाइन का प्रस्थान सिगनल हरा एवं लूप लाइन का प्रस्थान सिगनल पीला संकेत देगा।

6.3 इस स्टेशन पर अप एवं डाउन दिशाओं में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंटिंग कार्य हेतु सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल का प्रयोगा किया जायेगा। अग्रिम प्रस्थान की आन दशा में रहते हुए दोनों लाइनों से शंटिंग संचलन हेतु प्रस्थान सिगनल आफ करने पर पीला संकेत देगा।

6.4 अप / डाउन होम सिगनलों में तीन आस्पैक्ट ला, पीला तथा हरा है। जंक्शन इंडिकेटर रहित अप / डाउन होम सिगनलो आफ होने पर केवल पीला आस्पैक्ट मेन लाइन पर आने का संकेत करता है। अप / डाउन होम सिगनलों के पीला आस्पैक्ट के साथ—साथ जंक्शन इंडिकेटर की पाँच सफेद बत्तियों का प्रकाश संकेत करता है कि गाड़ी का आगमन लूप लाइन पर होगा। अप / डाउन होम सिगनल का हरा आस्पैक्ट मेन लाइन स्टार्टर का हरा तथा एडवॉस स्टार्टर हरा आस्पैक्ट गाड़ी को स्टेशन से बिना रूके रन—थ्रू जाने का सूचक है। यदि सम्बन्धित पाइन्ट का सही सैटिंग का इंडिकेशन न भी जलता हो तथा सिबनल आस्पैक्ट का नियमित इंडिकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाये कि प्वाइंट्स सही सैट व लाक है।

6.5 ट्रैक सर्किट के आक्यूपाइड होने पर प्रत्येक ट्रैक सर्किट लाल प्रकाश संकेतक प्रदत्त है। किसी गाड़ी द्वारा ट्रैक सर्किट के आक्यूपाइड होने पर य प्रकाश की विफलता की दशा में उस ट्रैक सर्किट की सही स्थिति में समझा जायेगा। फिर विद्युत सिगनल अनुरक्षक का प्रकाश संकेतक को पुनः ठीक कराने के लिये तुरन्त ही सूचित किया जाना चाहिए।

7. **थम्ब स्विच स्टाप प्लग :-**

स्टेशन पैनल प्लग भण्डारण स्थल में आठ लीवर स्टाप प्लग प्रदत्त हैं। सिगनल या कॉटा थम्ब स्विचों का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचालन रोकने के लिये उक्त प्लगों को पैनल में प्रदत्त छिद्रों में लगाकर अन्दर की ओर दबा देना चाहिए। इन प्लगों को लगा देने पर ये स्टेशन मास्टर को अनुस्मारक का कार्य करते हैं कि स्विचों को अब दूसरी स्थिति के लिये प्रचालित नहीं करना है।

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

8. **अप एवं डाउन शंटिंग चाबियाँ :-**

स्टेशन मास्टर के कार्यालय में अप एवं डाउन शंटिंग चाबियाँ प्रदत्त हैं। इन चाबियों की आवश्यकता एडवॉस स्टार्टर से आगे एवं विपरीत होम सिगनल तक शंटिंग करने पर पड़ती है। टोकेनलैस ब्लॉक यन्त्र लाइन क्लोज़्ड अथवा टीजीटी स्थिति में तथा सम्बन्धित आगमन व प्रस्थान सिगनल आन पोजीशन में होने पर ही शंटिंग चाबी एच0के0टी0से निकल सकेगी। शंटिंग चाबी के बाहर निकालने पर सम्बन्धित ब्लॉक यन्त्र लाक हो जायेगा। शंटिंग कार्य पूरा होने के बाद ड्राइवर शंटिंग चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौंपेगा। शंटिंग चाबी को वापस एच0के0टी0 में लगाने पर ब्लॉक यन्त्र का लाक छूट जायेगा और संचालित होने की दशा में आ जायेगा।

9. **कैन्क हैण्डिल :-**

9.1 एक कैन्क हैण्डिल स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त विद्युत लीवर लाक एवं ट्रेक सर्किट कन्ट्रोलर एसेम्बली में लाक रहता है। कॉटों पर लगी विद्युत कॉटा मशीन के विफल हो जाने की दशा में इन कॉटों का प्रचालन कैन्क हैण्डिल से करने हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल पर स्थित कैन्क हैण्डिल स्विच को रिलीज स्थिति में घुमाएगा। उसके पश्चात कैन्क हैण्डिल को धीरे-धीरे घुमाएगा तथा इसे विद्युत लीवर लाक और सर्किट कन्ट्रोलर एसेम्बली से बाहर निकाल लेगा। कैन्क हैण्डिल को केवल तभी निकालना चाहिए जब कैन्क हैण्डिल एसेम्बली के निकट लाक फी इंडिकेशन बत्ती लाल जल जाये। प्रत्येक बार कैन्क हैण्डिल निकालने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस कार्य की प्रविष्टि इस उद्देश्य हेतु बनायी गयी पंजिका में अवश्य करनी चाहिए। कॉटों को वॉछित दशा में प्रचालित करने के बाद कैन्क हैण्डिल का असेम्बली में वापस लगा देने के बाद कैन्क हैण्डिल स्विच को पुनः लाक स्थिति में घुमाने पर कैन्क हैण्डिल की सामान्य स्थिति के सूचक हेतु थम्ब स्विच के ऊपर सफेद बत्ती जल जायेगी।

9.2 **कैन्क हैण्डिल थम्ब स्विच/पुश बटन:-**

स्टेशन मास्टर पैनल पर कैन्क हैण्डिल की सामान्य दशा के लिये थम्ब स्विच / पुश बटन प्रदत्त है। पुश बटन दबाने या थम्ब स्विच घुमाने पर कैन्क हैण्डिल की सामान्य स्थिति के सूचक हेतु पुश बटन या थम्ब स्विच के ऊपर सफेद प्रकाश जल जायेगा।

9.3 जब कैन्क हैण्डिल एसेम्बली से बाहर निकाल लिया जाता है, सभी सिगनल अपना प्रतिबन्धित संकेत प्रदर्शित करते हैं और लीवर लाक में कैन्क हैण्डिल प्रत्यावर्तित होने तक अप्रचालित हो जायेगे।

9.4 **कॉटा मशीन के आपात कालीन प्रचालन की प्रक्रिया :-**

(अ) कैन्क हैण्डिल को एसेम्बली से घुमाकर निकाल लिया जाता है अथा सम्बन्धित कॉटा मशीन की चाबी भी कॉटा मशीन पर ले जाते हैं। कैन्क हैण्डिल जेड-1कॉटा संख्या 201A – 202B के लिये है तथा कैन्क हैण्डिल जेड-2 कॉटा संख्या 202A-202B के लिये है।

(ब) कैन्क हैण्डिल के ढक्कन में चाबी लगाकर खोला जाता है। उसके बाद कांटा में मोटर की साइड में लगे ताले में सम्बन्धित चाबी को लगाकर खोला जाता है। ऐसा करने से कांटा मशीन की विद्युत आपूर्ति कट जाती है। साथ ही साथ कैन्क हैण्डिल लगाने का सुराख खुल जाता है।

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (स) तत्पश्चात क्रेन्क हैण्डल की सुराख (साकेट) में लगाकर क्लाकवाइज़ या एन्टि-क्लाकवाइज़ दिशा में जैसा भी मामला हो घुमाया जाता है। कॉटों के प्रचालन हेतु क्रेन्क हैण्डल को घुमाने के लिये प्रारम्भ में थोड़ा अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है और जब कॉटें एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचालित हो रहे हों, क्रेन्क हैण्डल का आगे चलना बन्द न हो जाये। यह कॉटों को वॉछित स्थिति में लाक करने के लिये आवश्यक है।
- (द) विद्युत कॉटा मशीन के पावर सप्लाय पर पुनः कार्य करने हेतु क्रेन्क हैण्डल को निकाल लेना चाहिए तथा चाबी को घुमाकर निकाल लेना चाहिए। मशीन की स्टेशन पैनल से प्रचालन की सुविधा प्रदान करने हेतु क्रेन्क हैण्डल को स्टेशन पैनल पर विद्युत लीवर लाक सह सर्किट कन्ट्रोल एसेम्बली में पुनः लगाकर घुमा देना चाहिए।
- (ड़) क्रेन्क हैण्डल एवं उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है -

| क्रेन्क हैण्डल संख्या | उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण |
|-----------------------|---------------------------------------|
| जेड- 1 | 201A - 201B |
| जेड-2 | 202A - 202B |

10. **कॉटे, सिगनल तथा ग्रुप बटन के परिचालन की तालिका :-**

| क्र०सं० | गड़ी संचालन | प्रचालित किये जाने वाले कॉटा थम्ब स्विच | | प्रचालित किये जाने वाले सिगनल थम्ब स्विच | ग्रुप बटन संख्या दबायें | गेट बन्द करें |
|---------|--|---|----------|--|-------------------------|---------------|
| | | सामान्य | विपरीत | | | |
| 1 | अप गाड़ियों का इज्जतनगर से आगमन | | | | | |
| (क) | लाइन सं० 1 पर सैण्ड हम्प बनाकर | 201 | 202 | 12 | 2 | 232 |
| (ख) | लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर | | 201, 202 | 12 | 2 | 231, 232 |
| (ग) | लाइन सं० 2 पर आगमन | 201, 202 | | 12 | 2 | 231, 232 |
| (घ) | अप गाड़ी का लाइन सं० 2 से रन-थू जाना | 201, 202 | | 12, 4, 2 | 1, 2 | 231, 232 |
| 2 | डाउन गाड़ियों का भोजीपुरा से आगमन | | | | | |
| (का) | लाइन सं० 1 पर मेन लाइन बनाकर | | 201, 202 | 1 | 1 | 231, 232 |
| (ख) | लाइन सं० 2 पर आगमन | 201, 202 | | 1 | 1 | 231, 232 |
| (गा) | डाउन गाड़ी का लाइन सं० 2 से रन-थू जाना | 201, 202 | | 1, 5, 11 | 1, 2 | 231, 232 |
| 3 | अप गाड़ियों का भोजीपुरा को प्रस्थान | | | | | |
| (क) | लाइन सं० 1 से प्रस्थान | | 201 | 6, 2 | 1 | 231 |
| (ख) | लाइन सं० 2 से प्रस्थान | 201 | | 4, 2 | 1 | 231 |
| 4 | डाउन गाड़ियों का इज्जतनगर को प्रस्थान | | | | | |
| (क) | लाइन सं० 1 से प्रस्थान | | 202 | 7, 11 | 2 | 232 |
| (ख) | लाइन सं० 2 से प्रस्थान | 202 | | 5, 11 | 2 | 232 |

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

11. **संचार साधन :-** स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं -
- इज्जतनगर नियन्त्रक कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
 - इज्जतनगर स्टेशन के टोकनलैस उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
 - भोजीपुरा स्टेशन के टोकनलैस उपकरण से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
 - पूर्व तथा पश्चिम लोकेशन बाक्स से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन
 - ट्रैफिक समपार फाटक सं० 231/सी (दोहना -भोजीपुरा) किमी० 304/2-3 से सम्बद्ध टेलीफोन
 - ट्रैफिक समपार फाटक सं० 232/सी (दोहना -इज्जतनगर) किमी० 305/1-2 से सम्बद्ध टेलीफोन
 - वी०एच०एफ० सैट
 - वी०एच०एफ० सैट 25 वाट
 - बी०एस०एन०एल० फोन
- 11A. (संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11 देखें)

12. **इकहरी लाइन के लिये असहकारी टोकनलैस ब्लाक उपकरण की बनावट का विवरण**

इस उपकरण के मुख्यतः दो भाग हैं :-

- एक रिले केबिनेट है जहाँ सभी रिले एकत्रित रहती है ।
- एक डैश बोर्ड होता है जिसे कन्ट्रोल पैनल कहा जाता है जिस पर पुश बटन, संकेतक, बेल, टेलीफोन इत्यादि लगे रहते हैं। उपरोक्त दो भागों में से एक पूरी इकाई का निर्माण होता है। कन्ट्रोल पैनल रिले केबिनेट के ऊपर स्थित होता है। संकेतक एवं बटन इतनी ऊँचाई पर होते हैं कि एक सामान्य कद के आदमी द्वारा आसानी से देखे व संचालित किये जा सकें। ये टोकनलैस ब्लाक उपकरण गाड़ी संचालन में किसी भी तरह से साधारण एवं सहायक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। विवरण निम्नलिखित है :-

पुश बटन संकेतको आदि का विवरण :

1. **पुश बटन**

- बेल पुश बटन :** रंग काला, संकेत (कोड) बी.सी.बी.।

इस बटन का उपयोग दूसरे स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित करने तथा ब्लाक यन्त्र के संचालन के लिये होता है। जब इसका उपयोग दूसरे बटन के साथ किया जाता है तों उस सम्बन्धित कोड की धारा प्रवाहित होती है। जब इसको अकेले दबाया जाता है तो बेल कोड की धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित करने हेतु घन्टी बजती है। जब कभी इसको अकेले दबाया जाता है या किसी अन्य दूसरे बटन के साथ दबाया जाता है तो उससे सम्बन्धित संकेतक जल उठता है।

- गाड़ी का प्रस्थान बटन :** रंग हरा, संकेत (कोड) टी.जी.टी.।

इसके साथ में बी.सी.बी. को दबा कर दूसरे स्टेशन के उपकरण पर टी०सी०एफ० की शर्तें यदि पूरी होती हैं तो उपकरण को टी.जी.टी. किया जा सकता है।

- लाइन क्लोज्ड बटन :** रंग सफेद संकेत (कोड) एल.सी.बी.

इस बटन को बी०सी०बी० के साथ दबाने पर लाइन क्लोज्ड की शर्तें यदि पूरी होती हों तो प्रखण्ड को बन्द किया जा सकता है या किसी गाड़ी का लाइन क्लियर कैंन्सिल किया जा सकता है।

(बालक राम)
मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- iv) **कैसिल बटन** : रंग लाल संकेत (कोड) कैसिल।
किसी गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर को निरस्त करने के लिये इसको बी०सी०बी० कटन के साथ दबाया जाता है। काउन्टर पर अगला नम्बर प्रतिक्रिया स्वरुप बढ़ जाता है। यदि गाड़ी को पीछे वापस किया गया हो तो लाइन क्लीयर तत्काल निरस्त करने की प्रक्रिया को किया जा सकता है, परन्तु यदि गाड़ी स्टेशन से नहीं छूटी है और लाइन क्लीयर निरस्त करना है तो फ्री संकेत जल जाने के बाद ही लाइन क्लीयर निरस्त करना चाहिये। फ्री संकेत एक निर्धारित समय अन्तराल के बाद मिलता है।
- v) **शन्टिंग का बटन** : रंग नीला संकेत (कोड) एस.एच.के.।
यदि शन्टिंग कार्य (शन्टिंग चाभी) करना हो तो आवश्यकता पड़ने पर इसे दबाकर उपकरण से निकाला जा सकता है।
- vi) **कैच स्लिप साइडिंग कन्ट्रोल चाभी बटन** : रंग नीला संकेत (कोड) एस.सी.के.।
जहाँ पर दिया गया है, इसको दबाकर साइडिंग होकर उपकरण से चाभी को निकाला जा सकता है।
2. **पैनल के संकेतक :**
- i) **गाड़ी आ रही है (हरा) :**
जब यह संकेत जले तो इसका तात्पर्य है कि उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रही है अर्थात् लाइन क्लीयर दिया जा चुका है।
- ii) **लाइन क्लोज्ड (लाइन बन्द) (सफेद) :**
जब भी यह संकेत जले तो इसका तात्पर्य है कि प्रखण्ड बन्द है। दूसरे शब्दों में प्रखण्ड में कोई गाड़ी नहीं है।
- iii) **गाड़ी जा रही है। (हरा) :**
जब यह संकेत जले तो इसका तात्पर्य है कि उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में गाड़ी का लाइन क्लीयर लिया जा चुका है।
- iv) **अन्तिम रोक सिगनल संकेतक :**
जब लाल संकेतक जले तो इसका तात्पर्य है कि अन्तिम रोक सिगनल “आन” की स्थिति में है और यदि हरा जले तो अन्तिम रोक सिगनल “आफ” की स्थिति में है।
- v) **एस०एन०आर० संकेत :**
यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा स्टेशन मास्टर अपने पैनल के बारे में जानकारी करता है कि सभी नियन्त्रण सामान्य स्थिति में है व प्रथम रोक सिगनल, डिस्टेन्ट सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल “आन” की स्थिति में जल रहें हैं। इनमें से यदि कोई सिगनल नहीं जल रहा हो या होम सिगनल का रिफ्लेसन ट्रैक लाल है तो लाइन क्लीयर नहीं मिलेगा।
- vi) **गाड़ी लाइन पर है (लाल) -**
इस बात का संकेत देता है कि गाड़ी लाइन क्लीयर प्राप्त होने के बाद ब्लाक प्रखण्ड में प्रवेश कर चुकी है। यह तब तक जलता रहेगा जब तक कि गाड़ी स्टेशन पर न आ जाये और प्रखण्ड को बन्द न कर दिया जाये।
- vii) **फ्री संकेतक (हरा) :**
इस बात का संकेत देता है कि लाइन क्लीयर को निरस्त करने का समय अन्तराल पूरा हो चुका है। यदि गाड़ी स्टेशन से नहीं छूटी है तो लाइन क्लीयर निरस्त किया जा सकता है।
उपरोक्त तीनों संकेतक अपनी-अपनी शर्तों के पूरा हो जाने पर स्वतः जल जाते हैं और इन्हें जलाने के लिये बी०सी०बी० बटन को दबाना नहीं पड़ता है।

3. **काउन्टर : (गणक)**

यह जितनी बार भी लाइन क्लीयर को निरस्त किया जाता है, उसकी गणना कर लेता है। जब भी लाइन क्लीयर को कैन्सिल करने हेतु कैन्सिल तथा बी०सी०बी० बटन को दबाया जाता है, काउन्टर एक अगली संख्या पर चला जाता है।

4. **स्टेशन मास्टर की चाबी (कोड- एस.एम.के.)**

इस चाबी का उपयोग स्टेशन मास्टर द्वारा इसलिये किया जाता है ताकि कोई दूसरा इसको संचालित न कर सकें। जब स्टेशन मास्टर द्वारा इस यन्त्र को लाक कर दिया जाता है तो इस यन्त्र पर टी.जी.टी. या लाइन क्लोज्ड या बेल कोड कर पाना सम्भव है, परन्तु इस यन्त्र पर टी०ओ०एल० कोड को भेजना एवं प्राप्त करना, टी०जी०टी० कोड भेजना, टी.सी.एफ. लाइन क्लोज्ड प्राप्त करना, लाइन क्लोज्ड कोड का उत्तर भेजना एवं घन्टी कोड को प्राप्त करना सम्भव है। इस प्रकार इस यन्त्र को स्टेशन मास्टर चाबी द्वारा लाक कर देने से इसकी असहकारी प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, लेकिन यदि चाबी निकाल ली जाये तो सम्बन्धित स्टेशन से बात-चीत करना सम्भव है।

5. **सिंगल स्ट्रोक घंटी :**

इस घंटी का उपयोग हमेशा किया जाता है। इसके द्वारा स्टेशन मास्टर का ध्यान आकर्षित किया जाता है और बेल कोड सिगनल के रूप में उपयोग किया जाता है।

6. **एलार्म घंटी टी०ओ०एल० :**

गाड़ी के खण्ड में प्रवेश करने पर यह घंटी रूक-रूक कर ट्रेन रिसेविंग स्टेशन पर तब तक बजती रहती है जब तक कि गाड़ी लेने वाले स्टेशन का स्टेशन मास्टर बी०सी०बी० बटन दबाकर एकनालेज न कर ले।

7. **गाड़ी आगमन एलार्म घंटी :**

आगमन सिगनल आफ करके स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के पश्चात यह घन्टी लगातार गाड़ी लेने वाले स्टेशन पर बजती है जिसका तात्पर्य है कि यन्त्र को लाइन क्लोज्ड स्थिति में जाया जा सकता है।

(क) **इकहरी लाइन पर असहकारी टोकनलेस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की विधि :**

नोट:- लाइन क्लीयर लेने/देने से पहले एस०एन०आर० इन्डीकेशन दोनो स्टेशनों पर जलना सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) **“ए” स्टेशन से “बी” स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रक्रिया :**

| स्टेशन “ए” | स्टेशन “बी” |
|--|--|
| 1. स्टेशन मास्टर की चाबी को डालिये और घुमाईये | |
| 2. बेल पुश बटन से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हो। | |
| | 3. ध्यानाकर्षण (काल अटेंशन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हो। |
| | 4. स्टेशन मास्टर की चाबी को डालिये और घुमाईये |
| 5. टेलीफोन पर गाड़ी का विवरण दीजिये और प्राइवेट नम्बर के बदलाव के साथ लाइन क्लीयर मांगिये। | |

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|--|--|
| | 6. गाड़ी के विवरण की अभिस्वीकृति दीजिये एवं स्टेशन "ए" के प्राइवेट नम्बर को दोहराइये और गाड़ी का लाइन क्लीयर प्राइवेट नम्बर के साथ दीजिये परन्तु इस बात को अवश्य सुनिश्चित करें कि शनिंटिंग चाभी, ब्लाक यन्त्र एच०के०टी० में मौजूद है। |
| 7. गाड़ी आने की अनुमति प्राइवेट नम्बर के साथ दीजिये। | |
| | 8. गाड़ी प्रस्थान (टीजीटी) बटन को घंटी संकेत बेल पुश बटन के साथ दबायें |
| 9. ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान संकेत को प्रदर्शित करता है। | |
| 10.(क) अन्तिम रोक सिगनल को "आफ" करें। | |
| (ख) ब्लाक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है। | |
| (ग) अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन पर लौट आता है। | |
| (घ) लाइन पर गाड़ी संकेत स्वतः प्रकट होता है तथा स्पष्ट सुनाई देने वाली घंटी बजती है। | 11. लाइन पर गाड़ी संकेत स्वतः प्रकट होता है तथा स्पष्ट सुनाई देने वाली घंटी बजती है। |
| | 12.(क) बेल पुश बटन बी०सी०बी० को दबाकर घंटी चेतावनी की ध्वनि एकनालेज करें। |
| | (ख) सुनायी पड़ने वाली चेतावनी बन्द हो जाती है। |
| | 13.(क) आगमन सिगनलों को "आफ" करें। |
| | (ख) गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है। |
| | (ग) प्रथम रोक सिगनल "आन" स्थिति में लौट आता है। |
| | (घ) सुनाई पड़ने वाली घंटी बजना प्रारम्भ करती है। |
| | (ङ) पैनल पर आगमन सिगनल बटन एवं एकनालेज बटन दबाने पर सुनाई पड़ने वाली चेतावनी घंटी बन्द हो जाती है। |
| | 14. लाइन बन्द बटन एवं बेल पुश बटन को एक साथ दबायें। दबाने के पहले यह सुनिश्चित करलेना चाहिये कि गाड़ी पूर्ण रूप से आ गयी हो तथा सभी सिगनल "आन" कर दिये गये हो। |
| 15. ब्लाक यन्त्र लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो जाता है। | |
| | 16. ब्लाक यन्त्र लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो जाने का संकेत मिलने पर लाइन बन्द बटन एवं बेल पुश बटनों को छोड़ दें। |

(ख) ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लीयर निरस्त करने की प्रक्रिया :

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|---|---|
| ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो। | ब्लाक उपकरण आगमन संकेत को प्रदर्शित करता है और प्रथम रोक सिगनल "आन" स्थिति में हो। |
| 1.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाइये। | |
| (ख) बेल पुश बटन के साथ कैन्सिल बटन को दबाइये। | |
| (ग) काउन्टर गणक अगली दूसरी संख्या अंकित करती है। | |
| 2. ध्यानाकर्षण सिगनल दीजिये तथा ब्लाक टेलीफोन पर उपस्थिति होइये। | |
| | 3.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाइये। |
| | (ख) ध्यानाकर्षण सिगनल की अभिस्वीकृति दीजिये तथा ब्लाक टेलीफोन सुनिय। |
| 4. टेलीफोन पर गाड़ी प्रस्थान को कैन्सिल करने का कारण बताइये। | 5. गाड़ी प्रस्थान को कैन्सिल किया जा रहा है, इसकी अभिस्वीकृति दीजिये। |
| | 6. यदि आगमन सिगनल "आफ" कर दिये गये हो तो सिगनल को "आन" कर दे। |
| 7.कैन्सिलेशन स्विच के संचालित होने के लगभग दो मिनट के बाद फ्री संकेत मिलता है। | |
| 8. सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में है, इसको सुनिश्चित कर ले तथा लाइन क्लोज्ड एवं बेल पुश बटन को दबाइये। | 9. अभिस्वीकृति दीजिये तथा ब्लाक उपकरण को सामान्य स्थिति में आने के लिये लाइन क्लोज्ड एवं बेल पुश बटन को दबाइये। |
| | 10. ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड स्थिति में होने पर बटनो को छोड़ दीजिये। |
| 11. ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड स्थिति में आ जाने पर बटनों को छोड़ दीजिये। | |

(ग) यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को सामान्य करने की प्रक्रिया :

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|--|--|
| ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान तथा लाइन पर गाड़ी है, के संकेतो को प्रदर्शित करता है। | ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है, के संकेतो को प्रदर्शित करता है। |

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|---|--|
| | 1.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाएं (ख) बेल पुश बटन को दबाकर सुनाई पड़ने वाली चेतावनी की अभिस्वीकृति दीजिये। (ग) सुनाई पड़ने वाली चेतावनी बन्द हो जाती है। (घ) ध्यानाकर्षण सिगनल दीजिये और ब्लाक टेलीफोन सुनिये। |
| 2.(क) स्टेशन मास्टर की चाबी लगाकर घुमाएं (ख) ध्यानाकर्षण की अभिस्वीकृति बेल पुश बटन को दबाकर दें। | |
| 3. गाड़ी को वापस पीछे करने का कारण बताइये। | 4. गाड़ी वापस क्यों की जा रही है, इसकी अभिस्वीकृति दीजिये तथा यदि आगमन सिगनल "आफ" कर दिये गये हो तो उन्हें "आन" स्थिति में कर दीजिये। |
| 5.(क) आगमन सिगनल को आफ कर दे। (ख) गाड़ी स्टेशन पर वापस आती है। (ग) प्रथम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में कर दे। (घ) गाड़ी आगमन की चेतावनी घंटी बजने लगती है। | |
| 6.(क)कैन्सिलेशन एवं बेल पुश बटन को दबाइये। (ख) काउन्टर गणक दूसरी आगे की संख्या को प्रदर्शित करता है। | |
| 7.(क) गाड़ी पूर्ण रूप से आ चुकी है, इसे सुनिश्चित कर ले तथा सम्बन्धित सिगनल "आन" की स्थिति में कर दे। (ख) ध्यान आकर्षण करे तथा लाइन क्लोज्ड बटन एवं बेल पुश बटन को दबाइये। | 8. अभिस्वीकृति दे तथा लाइन क्लोज्ड एवं बेल पुश बटन को दबाकर ब्लाक यन्त्र को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करे। 9. ब्लाक उपकरण के लाइन बन्द की स्थिति में आ जाने पर बटन को छोड़ दे। |
| 10. ब्लाक उपकरण के लाइन क्लोज्ड स्थिति में आ जाने पर बटन को छोड़ दे। | |

(घ) अन्तिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग की प्रक्रिया :

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|--|--|
| ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो। | ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो। |
| 1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये। | |
| 2.(क) एच०के०टी० बटन को दबाकर शन्टिंग चाबी को निकालिये | |

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|---|-------------|
| (ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये। | |
| 3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है। | |
| (ख) शन्टिंग चाबी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है। | |
| नोट : स्टेशन "बी" उपकरण को गाड़ी के प्रस्थान की स्थिति में कर पाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि स्टेशन पर शन्टिंग चाबी निकाली जा चुकी होती है। शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर स्टेशन "ए" स्टेशन "बी" को सूचित करता है कि शन्टिंग कार्य समाप्त हो गया है। | |

(ड) जोने वाली गाड़ी के पीछे अन्तिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग करने की प्रक्रिया ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो :-

| स्टेशन "ए" | स्टेशन "बी" |
|---|--|
| ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान करने की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" स्थिति में हो। | ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है। |
| 1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये। | |
| 2.(क) एच०के०टी० बटन को दबाकर शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये। | |
| (ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये। | |
| स्थिति-1 : यदि शन्टिंग कार्य गाड़ी पहुँचने से पहले समाप्त हो जाता है : | |
| 3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है। | |
| (ख) शन्टिंग चाबी हैपर्स की ट्रांसमीटर में लगा दी जाती है। | |
| | 4. गाड़ी को स्टेशन पर लेने के बाद उपकरण को लाइन क्लोज्ड की स्थिति में कर दे। |
| स्थिति-2 : यदि शन्टिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुँच जाती है और स्टेशन "बी" ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह स्टेशन "ए" से वस्तुस्थिति की जानकारी करेगा। | |
| 3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है। | |
| (ख) शन्टिंग चाबी हैपर्स की ट्रांसमीटर में लगा दी जाती है। | |
| 4. टेलीफोन से शन्टिंग समाप्त होने की सूचना दे दी जाती है। | 5.(क) टेलीफोन पर शन्टिंग समाप्त होने की अभिस्वीकृति दीजिये। |
| | (ख) ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिति में कर दे। |

13 **कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था :**

- (1) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। आई०पी०एस० की मानिट्रिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिसमें निम्न सूचनाएं प्रकाशित होंगी :-
- (2) सामान्यतया छः हरी बत्ती दो पीली, तथा दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियाँ बुझी रहती हैं।
- (क) छः हरी बत्ती आई०पी०एस० की बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट तक होने पर जलती हैं, जो कि बैट्री वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती है जाती हैं।
- (ख) बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु अलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिए।
- (ग) जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनों पीली बत्तियाँ बुझती हैं तथा आपात कालीन जनरेटर स्टार्ट अलार्म बजता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
- (घ) जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर के हैण्डल के माध्यम से डी०जी०सैट चलाया जायेगा।
3. इस स्टेशन पर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति के विफल होने पर विफलता के कारणों को दूर कर पुनः सामान्य किया जा सकता है।
- (क) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्ज ओवर स्विच 'ए' जो सामान्य स्थिति में सदैव कमर्शियल पावर सप्लाई की तरफ लगा रहता है, को जनरेटर साइड में लगा देंगे।
- (ख) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्ज ओवर स्विच 'बी' लगा है जो सामान्य बीच में रहता है, जनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुए जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (ग) सामान्यतया स्टेशन मास्टर स्टैण्डबाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 का प्रयोग किया जायेगा।
- (घ) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4 - 4 घन्टा के अन्तराल में बदल-बदल कर चलायें।
4. जब कमर्शियल सप्लाई आ जाय तो स्विच 'ए' को कमर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दें और स्विच 'बी' को मध्य स्थिति में कर दें तथा जनरेटर को बन्द कर दें।
5. जब जनरेटर में डीजल आयल भरा जाय तो स्टेशन मास्टर डीजल आयल पंजिका इसका इन्दराज तुरन्त करें। स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर के उपरयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता / उपलब्धता का इन्दराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें।

प्रारूप**व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :**

| क्रम सं० | तिथि | IPS का चार्जिंग समय | डी०जी०सैट चलने का समय घन्टा एवं मिनट में | | | डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में | स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर | टिप्पणी |
|----------|------|---------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | स्टार्ट करने का समय | बन्द करने का समय | चलने का कुल समय | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7. डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत आदि का विवरण लाग बुक के टिप्पणी कालम में इन्दराज करें।
8. **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-**
आई०पी०एस०मानिट्रिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेंगे ।
9. **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :-**
आई०पी०एस० के विफल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का परिचालन करने से पहले यह भलिभौति सुनिश्चित कर लें कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
14. **विफलताएं :-**
- 14.1 संकेतन एवं अन्तर्पाशन, गाड़ी संकेतन उपकरण तथा टेलीफोन की विफलता की दशा में निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। गाड़ी संचालन उपकरण एवं टेलीफोन की विफलता की दशा में अभियान्त्रिकी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है।
- 14.2 जब संकेतन एवं अन्तर्पाशन विफल हो जाये तो साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.68, 3.69, 3.71, 3.76, 3.77, 3.81, और 5.01 में उल्लिखित प्रणाली तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संयुक्त परिपत्रों और अनुदेशों का अनुपालन किया जाय।

| क्र० सं० | अधिकारी / कर्मचारी जिन्हे सूचित करना है | मुख्यालय |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | यॉन्त्रिक सिगनल अनुरक्षक | बहेड़ी |
| 2 | विद्युत सिगनल अनुरक्षक | बहेड़ी |
| 3 | जे० ई० सिगनल | इज्जतनगर |
| 4 | सीनियर सैक्शन इंजी० सिगनल | इज्जतनगर |
| 5 | सहायक मण्डल सिगनल एव दूर संचार इंजी० | इज्जतनगर |
| 6 | वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी० | इज्जतनगर |
| 7 | मण्डल इंजी०/मुख्यालय | इज्जतनगर |
| 8 | सहायक मण्डल इंजी० | इज्जतनगर |
| 9 | सीनियर सैक्शन इंजी०-रेल पथ | भोजीपुरा |
| 10 | यातायात निरीक्षक | इज्जतनगर |
| 11 | मुख्य गाड़ी नियन्त्रक | इज्जतनगर |
| 12 | वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक | इज्जतनगर |
| 13 | वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी | इज्जतनगर |
| 14 | वरिष्ठ मण्डल यॉन्त्रिक इंजी० | इज्जतनगर |
| 15 | दोनो छोर के स्टेशन मास्टर | भोजीपुरा एवं इज्जतनगर |

- 14.3 कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं का सिगनल विफलता पंजिका में इन्दराज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम० अथवा एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य दें। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इन्दराज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करें और स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरितस भी करा लें।